न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 160/2016

1 कमला पुत्री नन्दाराम उम्र 50 वर्ष जाति कुमावत निवासी सिंहासन तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भागीरथ पुत्र नन्दाराम।
2 बनवारी पुत्र नन्दाराम।
3 विजेन्द्र पुत्र नन्दाराम।
4 परमेश्वरी पुत्री नन्दाराम।
5 सुमित्रा पुत्री नन्दाराम।
6 सावित्री पुत्री नन्दाराम।
7 मोहिनी पुत्री नन्दाराम।
8 भगवानी पत्नी नन्दाराम।
9 हेमराज पुत्र नन्दाराम।
10 मांगूराम पुत्र नन्दाराम।
11 खेताराम पुत्र नन्दाराम।
12 कानाराम पुत्र नन्दाराम।
13 सोहन पुत्र नन्दाराम समस्त जाति कुमावत निवासीगण सिंहासन तहसील व जिला सीकर।
14 तहसीलदार तहसील कार्यालय सीकर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 15.07.2011
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर पत्रावली बउनवानी
भागीरथ आदि बनाम हेमराज आदि मुकदमा नम्बर
206/2011 आवेदन अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम।

अपील संख्या 161/2016

1 कमला पुत्री नन्दाराम उम्र 50 वर्ष जाति कुमावत निवासी सिंहासन तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भागीरथ पुत्र नन्दाराम।
2 बनवारी पुत्र नन्दाराम।
3 विजेन्द्र पुत्र नन्दाराम।
4 परमेश्वरी पुत्री नन्दाराम।
5 सुमित्रा पुत्री नन्दाराम।
6 सावित्री पुत्री नन्दाराम।
7 मोहिनी पुत्री नन्दाराम।
8 भगवानी पत्नी नन्दाराम।
9 हेमराज पुत्र नन्दाराम।
10 मांगूराम पुत्र नन्दाराम।
11 खेताराम पुत्र नन्दाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

12 कानाराम पुत्र नन्दाराम।
13 सोहन पुत्र नन्दाराम समस्त जाति कुमावत निवासीगण सिंहासन तहसील व जिला सीकर।
14 तहसीलदार तहसील कार्यालय सीकर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील विरूद्व अन्तिम डिक्री दिनांक 13.02.2013 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर पत्रावली बउनवानी भागीरथ आदि बनाम हेमराज आदि मुकदमा नम्बर 206/2011 आवेदन अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री मोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामलाल यादव, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री जसवन्त सिंह भूरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः– 15.11.2021

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 206/2011 में पारित निर्णय प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.07.2011 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 13.02.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलीयों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलीयों में पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट्स संख्या 01 लगायत 08 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत उद्घोषणा बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती इन्द्राजात प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि वाके ग्राम सिंहासन तहसील व जिला सीकर की तन में आराजी खसरा नम्बर 353 रकबा 0.03 हैक्टेयर गैर मुमकिन ढ़ाणी, खसरा नम्बर 813/358 रकबा 3.57 जांव व चाही कुल किता 2 कुल रकबा 3.60 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। उक्त भूमियां पैतृक है, जिन पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 एवं 07 लगायत 08 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त एवं खातेदारी चली आ रही है। इसके अलावा वादीगण रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 08 ने दावे की मदन संख्या 02 में पक्षकारान की सम्पूर्ण वंशावली अंकित करते हुये निवेदन किया था। पक्षकारान स्व. नन्दाराम के पुत्र एवं पुत्रीयां व बेवा है तथा सभी का 1/14,1/14 समभाग बराबर बराबर हक व हिस्सा है तथा सभी पक्षकारान विवादित कृषि भूमियों को शामलाती व अपने हिस्से के अनुसार काश्त करते चले आ रहे है तथा खसरा नम्बर 813/354 रकबा 3.57 हैक्टेयर में टयूबवैल बना हुआ है जिसमें सभी का 1/14 हिस्सा है तथा सभी अपने अपने हिस्से के अनुसार बिजली उपयोग कर बिल जमा करवाते आ रहे है, इसलिए वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 353 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 813/354 रकबा 3.57 हैक्टेयर जाव व चाही का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर एवं अलग अलग लगान तय किया जाकर वादीगण को अपना अपना हिस्सा 1/14,1/14 अनुसार एवं प्रतिवादी संख्या 07 व 08 का भी हिस्सा 1/14,1/14 के अनुसार विभाजन किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें। परन्तु वादीगण रेस्पोडेंट संख्या 01 ता 08 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी प्रतिवादीगण को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कोई नोटिस व सूचना नहीं भिजवाई तथा ना ही वादीगण रेस्पोडेंट्स संख्या 01 ता 08 द्वारा प्रस्तुत वाद में अंकितानुसार पक्षकारान के 1/14,1/14 हक, हिस्से के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन ही किया गया तथा अपना निर्णय दिनांक 13.02.2013 पारित कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्रकरण में विधिक प्रकिया अनुसार प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये बिना ही प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी की गई है जो विधि विरूद्व है। विभाजन प्रस्ताव पटवारी द्वारा एक पक्षीय रूप से तैयार किये गये है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सम्यक तामील नही हुई है। अपीलांट ने हेमाराम के कहने पर वकालतनामा पर हस्ताक्षर किये थे। अपीलांट अशिक्षित महिला है। इस न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय की अपील संख्या 46/2014 पूर्व में खारिज हो चुकी है। इसकी भी अपीलांट को जानकारी नही थी। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपीले विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। विचारण न्यायालय की प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.07.2011 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 13.02.2013 के विरूद्व इस न्यायालय में अपील संख्या 46/2014 प्रस्तुत की गई थी। जिसमें वर्तमान अपीलांट कमला रेस्पोडेंट संख्या 12 के रूप में दर्ज थी एवं अपील संख्या 46/2014 में वर्तमान अपीलांट कमला जरिये वकील उपस्थित रही है। इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 46/2014 निर्णय दिनांक 31.08.2016 से गुणावगुण पर निर्णित की जाकर अपील खारिज की जा चुकी है। विधि अनुसार एक बार गुणावगुण के निर्णय के उपरान्त पुन उसी निर्णय की विरूद्व नये सिरे से अपील सुनवाई योग्य नही है। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.08.2016 के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील संख्या 6693/2016 लम्बित है। अपीलांट अपने हितो की चाराजोही राजस्व मण्डल में करने हेतु स्वंतत्र है। चूंकि अपीलांट पूर्व अपील में जरिये वकील उपस्थित रही है। ऐसी स्थिति मे इस अपील में धारा 5 का लाभ प्राप्त करने की अधिकारी नही है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपीले विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। विचारण न्यायालय की प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.07.2011 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 13.02.2013 के विरूद्व इस न्यायालय में अपील संख्या 46/2014 प्रस्तुत की गई थी। जिसमें वर्तमान अपीलांट कमला रेस्पोडेंट संख्या 12 के रूप में दर्ज थी एवं अपील संख्या 46/2014 में वर्तमान अपीलांट कमला जरिये वकील उपस्थित रही है। इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 46/2014 निर्णय दिनांक 31.08.2016 से गुणावगुण पर निर्णित की जाकर अपील खारिज की जा चुकी है। विधि अनुसार एक बार गुणावगुण के निर्णय के उपरान्त पुन उसी निर्णय की विरूद्व नये सिरे से अपील सुनवाई योग्य नही है। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.08.2016 के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल में अपील संख्या 6693/2016 लम्बित है। अपीलांट अपने हितो की चाराजोही राजस्व मण्डल में करने हेतु स्वंतत्र है। चूंकि अपीलांट पूर्व अपील में जरिये वकील उपस्थित रही है। ऐसी स्थिति मे इस अपील में धारा 5 का लाभ प्राप्त करने की अधिकारी नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर